

पत्र सं०-विधि-4(1)-शासन निर्देश -2012-13-¹²¹³⁰⁴⁹
वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर

(विधि-अनुभाग)

उत्तर प्रदेश

लखनऊ :: दिनांक : 13 सितम्बर, 12

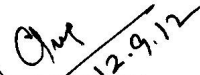
समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर

वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

दस हार्स पावर तक के डीजल इन्जन पम्प सैट पर दिनांक 30-9-2008 से 31-3-2011 तक की अवधि में 4 प्रतिशत + यथा अतिरिक्त कर से अधिक आरोपित कर की राशि को माफ किए जाने के संबंध में शासन द्वारा पत्र सं०-क०नि०-2-898/ग्यारह-2-2012-9(01)/08पार्ट 5 टीसी दिनांक 05 सितम्बर , 2012 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा निम्न निर्देश निर्गत किए गए हैं -

" शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि दस हार्स पावर तक के डीजल इन्जन पम्प सैट पर दिनांक 30-9-2008 से 31-03-2011 तक की अवधि में 4 प्रतिशत + यथा अतिरिक्त कर से अधिक देय एवं आरोपित कर की बकाया धनराशि तथा उस पर नियमानुसार देय ब्याज को माफ कर दिया जाये बशर्ते उक्त अवधि में व्यापारियों द्वारा क्रेताओं / उपभोक्ताओं से 4 प्रतिशत + यथा अतिरिक्त कर से अधिक देय कर की धनराशि की वसूली नहीं की गयी है । इसके अतिरिक्त जिन व्यापारियों से उक्त अवधि में देय / आरोपित कर वसूली कर लिया गया है , उसे वापस नहीं किया जाएगा । माफी का आदेश पारित करने का अधिकार सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को प्रदान किया जाता है । "

कृपया तदनुसार कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
संलग्नक : उपरोक्तानुसार


(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय , लखनऊ

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।